न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./39/2019/बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

हरचन्द पुत्र प्रभु के वारिसान
1. भूराराम पुत्र हरचन्द उम्र 55 वर्ष
2. धन्नाराम पुत्र हरचन्द उम्र 47 वर्ष
3. घमण्डाराम पुत्र हरचन्द उम्र 52 वर्ष
4. करनाराम पुत्र हरचन्द उम्र 45 वर्ष
5. हरदानराम पुत्र हरचन्द उम्र 43 वर्ष
6. मूलाराम पुत्र हरचन्द उम्र 40 वर्ष
7. खेताराम पुत्र हरचन्द उम्र 37 वर्ष
8. लक्ष्मी पत्नी हरचन्द उम्र 80 वर्ष

जाति जाट निवासी नया कुआ (गोलिया गर्वा) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

1.अणदाराम पुत्र लिछमणराम के वारिसानः–1/1गोरखाराम पुत्र अणदाराम उम्र 55 वर्ष
1/2पूनमाराम पुत्र अणदाराम उम्र 52 वर्ष
1/3शेराराम पुत्र अणदाराम उम्र 45 वर्ष
1/4मलाराम पुत्र अणदाराम उम्र 40 वर्ष
2.ईशराराम पुत्र प्रभु के वारिसान
2/1वेहना गोदपुत्र ईशरा उम्र 55 वर्ष
3.वीरमा पुत्र प्रभु के वारिशान
3/1मंगनाराम पुत्र वीरमा उम्र 55 वर्ष
3/2पदमा पुत्र वीरमा उम्र 53 वर्ष
3/3शिवजी पुत्र वीरमा उम्र 38 वर्ष
3/4सदराम पुत्र वीरमा उम्र 32 वर्ष
3/5मीरा पत्नी वीरमा उम्र 75 वर्ष
जातियान जाट निवासीयान नया कुआ, गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4.गुणेशा पुत्र प्रभु के वारिशान
4/1करनाराम पुत्र गुणेशाराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी
4/2मूलाराम पुत्र गुणेशाराम उम्र 57 वर्ष
4/3पूनमाराम पुत्र गुणेशाराम उम्र 50 वर्ष जाति जट निवासी शिवपुरा नगर तहसील गुड़ामालानी।
5.तहसीलदार, गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 208/1981 बअनवान हरचन्द बनाम गणेशाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.09.1982 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से ।

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 17.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 60.15 बीघा मौजा नगर, खसरा संख्या 106 रकबा 574.08 बीघा, खसरा संख्या 105 रकबा 08 बिस्वा मौजा गोलिया गर्वा व खसरा संख्या 42 रकबा 246.07 बीघा तहसील गुड़ामालानी में आये हुऐ है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 से प्रत्येक का 1/8—1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवांने हेतु उतरदातागण ने सहमति प्रदान करते हुए राजीनामा पेश किया गया तथा साथ में नजरी नक्शा भी पेश किया तथा नजरी नक्शा के अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु वादी व प्रतिवादीगण ने सहमति दी गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 21.09.1982 को राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करते हुए वाद को डिक्री किया गया, जिस निर्णय एवं डिक्री में मूल खसरा संख्या 42 के अलावा अन्य खसरों के संबंध में अपीलांट को कोई उजर एतराज नहीं है क्योंकि अन्य खसरों का बंटवाड़ा मौके पर उभयपक्षकार के कब्जा काश्त अनुसार सही किया गया है परन्तु मूल खसरा संख्या 42 का मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त की विपरित विभाजन अधीनस्थ न्यायालय ने कर दिया, खसरा संख्या 42 के बंटवाड़े के तत्समय अपीलांट के पिता अपनढ होने के कारण उनको विभाजन हेतु प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 के मौके पर कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम में भारी भिन्नता है जिस कारण यह अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की ज़ाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

उतरदाता संख्या 1/1 से 1/4 पेश राजीनामा इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा मूल खसरा संख्या 42 के संबंध में विभाजन अपास्त करते हुऐ पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करने हेतु इस्तदुआ चाही गई है जिसमें मुख्य रूप से खसरा संख्या 42/3 के खातेदार अपीलांट व खसरा संख्या 42/4 के खातेदार उतरदाता संख्या 1/1 से 1/4 प्रभावित हो रहे है तथा शेष मूल खसरा

Scanned by CamScanner

संख्या 42 से विभाजित खसरे प्रभावित नहीं होते है। अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 1/1 से 1/4 के मध्य गांव के मौजिज लोगों ने राजीनामा करवा दिया है तथा राजीनामा के अनुसार संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये अनुसार बंटवारा करवाने हेतु सहमत हो गये है जो ग्राम नया कुआ की सीमा के उत्तर दिशा में मंगलाराम के खेड़े पर पांच साकल तक व दक्षिण दिशा में नया कुआ की सीमा से सड़क मार्ग पर पांच साकल तक तथा मौजा नया कुआ की सीमा पर उत्तरदाता संख्या 1/1 से 1/4 का उत्तर से दक्षिण कब्जा काश्त रहेगा, इस कब्जा काश्त में 20.18 बीघा भूमि आती है। इसी कब्जे पर रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 1/4 के पक्ष में खातेदारी घोषणा की जावें जो बरंग लाल से दर्शाया गया है। खेत खसरा संख्या 42/3 का शेष व 42/4 का सम्पूर्ण कुल रकबा 50.09 बीघा अपीलांट के हिस्से में रखते हुए घोषित किया जावे जो परिशिष्ट "अ" में बरंग नीला दर्शाया गया है। उपरोक्त परिशिष्ट "अ" के राजीनामा अनुसार उक्त अपील में निर्णय पारित कर फैसल किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटगण भी इस राजीनामा से सहमत है तथा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान किये है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण व उत्तरदाता संख्या 01 के मौके पर कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम में भारी भिन्नता है जिस पर हल्का पटवारी ने सीमाज्ञान करने से मना कर करते हुए तरमीम दुरस्त करवाने की हिदायत दी गई, जिस पर अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 17.01.2019 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 21.02.2019 को प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांटगण को सर्वप्रथम खसरा संख्या 42 का विभाजन व तरमीम गतल होने की जानकारी हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपील का निर्णय राजीनामा के आधार पर किया जा रहा है। अतः मियाद के बिंदु का कोई महत्व नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय राजीनामा के आधार पर किया जा रहा है लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रस्तुत राजीनामा पर बहस सुनने एवं मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से हुए विभाजन बाबत पक्षकारों के मध्य खसरा विशेष की मौका एवं कब्जा स्थिति से हटकर तरमीम होने से विवाद हुआ जिसे आपसी राजीनामा और लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निपटा दिया है। प्रस्तुत राजीनामें को बाकायदा प्रभावित पक्षकारों की उपस्थिति में सत्यापित किया जाकर "नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ'" अनुसार विभाजन स्वीकार किया गया, जो इस निर्णय का अभिन्नय अंग है। अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 208/1981 बअनवान हरचन्द बनाम गणेशाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.09.1982 में आंशिक संशोधन करते हुए मुताबिक राजीनामा एवं नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार खसरा संख्या 42/3 में बरंग लाल से इंगित भाग की 20.18 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 1/1 से 1/4 की खातेदारी में एवं खसरा संख्या 42/3 का शेष व 42/4 का सम्पूर्ण कुल रकबा 50.09 बीघा परिशिष्ट "अ" अनुसार बरंग नीला अपीलांटगण की खातेदारी में घोषित की जाकर तदनुसार ही विभाजन एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बटा नंबर मय रकबा यथावत रहेगा। तहसीलदार, गुड़ामालानी पालना कर अवगत करावे।

17/6/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner